रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 171] दिल्ली, मंगलवार, मई 9, 2017/वैशाख 19, 1939 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 44
No. 171] DELHI, TUESDAY, MAY 9, 2017/VAISAKHA 19, 1939 [N.C.T.D. No. 44

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

मद्य निषेध एवं मादक द्रव्य उन्मूलन निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 8 मई, 2017

सं.फा. 04(105)/डीओपी/आर.आर./2017–18/76.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार (प्रशासनिक सुधार विभाग) के दिनांक 18 मार्च, 1988 की कार्यालय ज्ञापन एबी 14017/12/87–स्था0 (आर0 आर0) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व परामर्श के पश्चात् एतद्द्वारा ''मद्य निषेध एवं मादक द्रव्य उन्मूलन निदेशालय'', राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में **संयुक्त निदेशक (परामर्श)** के पद पर भर्ती पद्धति/नियुक्ति को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं,

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :– (1) इन नियमों को **संयुक्त निदेशक (परामर्श) (सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अलिपिकीय पद)** के भर्ती नियम, 2017 कहा जाए।

   (2) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू समझे जाएंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर** :– उक्त पद की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य योग्यताएं इत्यादिः–** उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** :– ऐसा कोई भी व्यक्ति,

   (क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता हैः

   या

   (ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

5. **शिथिल करने की शक्ति :–**जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा व्यक्तियों/पदों को किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।

6. **बचावः–** इन नियमों की किसी भी बात का केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण अपेक्षित आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	**पदनाम**	:	**संयुक्त निदेशक (परामर्श)**
2.	**पदों की संख्या**	:	01 (एक) (2017)* इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।
3.	**वर्गीकरण**	:	'क' वर्गीय, सामान्य केन्द्रीय सेवा, राजपत्रित, अलिपिकीय
4.	**वेतनमान**	:	स्तर–11 (67700–208700/– रुपये)
5.	**क्या चयन मैरिट के आधार पर है या चयन एवं वरिष्ठता या गैर चयन पद**	:	चयन
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	:	लागू नहीं
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताऍं**	:	लागू नहीं
8.	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।**	:	लागू नहीं
9.	**परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	:	लागू नहीं
10.	**भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत**	:	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा अल्पकालिक संविदा सहित
11.	**यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेषन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/समावेशन किया जाना है**	:	**पदोन्नतिः** स्तर–10 (56100–170500/– रुपये) पै मैट्रिक्स में **5(पांच)** वर्ष की नियमित सेवा सहित विभागीय सहायक निदेशक (परामर्श) तथा सहायक निदेशक (मीडिया) **टीपः–** जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने (कनिष्ठ अधिकारी) उतनी अर्हक/पात्रता पहले ही पूरी कर ली है।

			प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/विश्वविद्यालय/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान/अर्धसरकारी या स्वायत्त निकाय/सांविधिक संगठनों के निम्नलिखित अधिकारीः— (i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा (ii) स्तर—10 (56100—170500 / — रुपये) पे मैट्रिक्स पांच वर्ष की नियमित सेवा सहित अथवा मूल संवर्ग/विभाग में नियुक्ति के पश्चात् समकक्ष (iii) स्तर—8 (47600—151100/— रुपये) पे मैट्रिक्स छह वर्ष की नियमित सेवा सहित अथवा मूल संवर्ग/विभाग में नियुक्ति के पश्चात् समकक्ष (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव रखने वाले। **अनिवार्यः—** (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक (ii) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि (iii) केन्द्र/राज्य सरकार या केन्द्र/राज्य सरकार के विभागों में ऐसी सेवा उपलब्ध कराने के लिये मान्यता प्राप्त विषहरण (डीटाक्स) केन्द्र में निवारक जागरूकता/परामर्शी क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव। **वांछनीयः—** (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से जनसंपर्क/ जनसंचार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा। (ii) स्वास्थ्य कैम्पों/सामाजिक कार्यक्रमों में समुदाय एजेंसियों के साथ पांच पारमर्शी कैम्पों के आयोजन का अनुभव। **टीपः** भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी श्रृखंला में है वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि इसमें उसी या केन्द्र सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग ने इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, सामान्यतः चार(4) वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी।

12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?**	:	''क'' वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति 1. मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार– अध्यक्ष 2. संबंधित विभाग का प्रशासनिक सचिव– सदस्य 3. संबंधित विभागाध्यक्ष जब तक वह विभाग में पदेन सचिव न हो– सदस्य
13.	**वे परिस्थितियॉं जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश तथा उनके नाम पर,

अनिल कुमार सिंह, सचिव (मद्य निषेध)

DIRCTORATE OF PROHIBITION AND PREVENTION OF DRUG ABUSE

NOTIFICATION

Delhi, the 8th May, 2017

F. 4(105)/DOP/RR/2017-18/76.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, read with the Government of India, Ministry of Home Affairs (Department of Administrative Reforms), O.M. No. AB.14017/12/87-Estt (RR) dated 18-3-1988, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, after prior consultation with the Union Public Service Commission hereby makes the following rules regulating the method of recruitment /appointment to the post of Joint Director (Counseling) in the Directorate of Prohibition and Prevention of Drug abuse in the Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-

1. **Short title and commencement –** (1) These rules may be called the Joint Director (Counseling) (GCS Group-A Gazetted Non-Ministerial Post) Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and pay level in the pay matrix**: - The number of the said post, its classification and pay level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc**.- The method of recruitment to the said post, age-limit, qualification and other matters connected therewith, shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. **Disqualifications** – No person,-

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living:

(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person,

Shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Powers to relax**: - Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to may be order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving**-- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions, required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the order issued by the Central Government from time to time in the 'Schedule'.

SCHEDULE

Name of the Post.	Number of Posts.	Classification.	Pay Level in the pay Matrix.	Whether selection post or non-selection post.
1	2	3	4	5
Joint Director (Counseling).	**01 (2017)*** (Subject to variation dependent on workload).	General Central Service Group A Gazetted, Non-Ministerial.	Level-11 (Rs 67,700-2,08,700).	Selection.

Age limit for direct recruitment.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotes.	Period of probation, if any.	Method of Recruitment:- whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
6	7	8	9	10
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By Promotion failing which by deputation including short-term contract.

In case of recruitment by promotion / deputation/ absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made.	If a departmental promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
Promotion: The Departmental Assistant Director (Counseling) and Assistant Director (Media) with five years regular service rendered in level 10 (Rs. 56,100-Rs. 1,70,500) in pay matrix. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying /eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. Deputation (Including Short-Term Contract): Officers under central Government /State Governments/Union Territory Administrations/Public Sector Undertaking /Universities/Recognized Research Institutions / Semi Government or Autonomous Bodies /Statuary Organizations: (A) (I) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre / department or (II) With five years regular service rendered in Level-10 (Rs.56,100-1,70,500) in pay matrix , Or equivalent , after appointment thereto in Parent Cadre /Department , OR (III) With six years regular service in the Level-8 (Rs.47,600-1,51,100) in pay matrix , Or equivalent , after appointment thereto in Parent Cadre /Department , and	Group 'A' Departmental Promotion Committee, Consisting of :- 1. Chief Secretary, Govt. of NCT OF Delhi. –Chairman. 2. Administrative Secretary of concerned Department – Member. 3. Head of the Department concerned unless he is ex-officio Secretary in the department – Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on deputation (ISTC).

(B) Possessing the following educational qualifications and experience: **Essential:** (I) Graduate from a recognized university /Institute. (II) Post- Graduate Degree in Psychology from a recognized university/Institute. (III) Five years Experience in the field of Preventive Awareness/Counseling in de-tox center recognized by the central/state government or central/state government Departments Providing such services. **Desirable:** (I) Post graduate diploma in public relations/Mass Communication/Advertising from a recognized university/Institute. (II) Experience of organizing five counseling camps with community agencies in health camps / social events or otherwise. **Note:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of Deputation (ISTC) including period of Deputation (ISTC) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization /Department of the central Govt. shall ordinarily not to exceed four years. The maximum age limit for appointment by Deputation (ISTC) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.)		

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

ANIL KUMAR SINGH, Secy. (Prohibition)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.05.16 15:21:17 +05'30'